अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक , 2023

अधिसूचना

सं.1-10 / ग्रा.वि, पं रा.सं, एंव श.स्था.नि/ 2022 --भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60-ए.एन.एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी अन्य सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय तथा दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के सामान्य चुनाव आयुक्त की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर के वर्ग **'ख'**(विशेष ग्रेड) तथा स्टाफ कार ड्राईवर वर्ग **'ग'**(सामाय ग्रेड , ग्रेड–II , ग्रेड–I) क्रमश: के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ - :**

   (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामिण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय तथा दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के सामान्य चुनाव आयुक्त की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर के वर्ग **'ख'**) विशेष ग्रेड (तथा स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड(**'ग'**) सामाय ग्रेड, ग्रेड-II , ग्रेड -I की भर्ती नियमावली 2023 " कहा जाएगा।

   (ii)यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:-**

   पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची I से V के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं :-**

   उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ :-** कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:-

   क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है,

   या

   ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **<u>ढील देने की शक्तिः-</u>**

जहां उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. **<u>व्यावृत्तिः-</u>**

इन नियमों की कोई भी बातें ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम., वी.एस.एम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

आदित्य

(आदित्य कुमार अस्थाना)
निदेशक,
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ग्रा.वि., पं. रा. सं.एंव श.स्था.नि. निदेशालय

अनुसूची-I

दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के चुनाव आयुक्त तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर (सामाय ग्रेड) के वर्ग के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	स्टाफ कार ड्राईवर (सामाय ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	06 (छह) * पद (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.02.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019 /54/96-स्थापना (डी) के संशोधन पूर्व अनुपात के अनुसार कुल 18 पदों का 30 %) * संवर्ग की कुल संख्या के आधार पर परिवर्तन के अधीन
3 .	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4 .	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स-2 (रूपए 19900 से 63200/-)
5 .	चयन पद या गैर चयनपद	लागू नहीं होगा
6 .	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूषों के लिए 18 से 33 वर्ष महिलाओं के लिए 18 से 38 वर्ष (केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 (पांच) वर्ष तक की रियायत दी जाएगी । *नोट:- रोज़गार कार्यालय,अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह/ उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी ।*
7 .	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एंव अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य-** 1.माध्यमिक विधालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो । 2.वैध हल्का मोटर वाहन ड्राईविंग लाईसेंस धारक हो। 3 . गठित चयन समिति द्वारा आयोजित ट्रेड टेस्ट / प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए । **वाँछनीय –** 1. हल्का मोटर वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव । 2. मोटर मेकेनिज़म का ज्ञान एंव वाहन में मामूली खराबी का पता लगाने और उसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए । 3. यातायात नियमों का ज्ञान होना चाहिए । *नोट 1: अन्य रूप से योग्य उम्मीदवारों के मामलों में, लिखित रूप से सक्षम प्राधिकारी के निणर्य के अनुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है।* *नोट 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में सक्षम प्राधिकारी के निणर्य के अनुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी_को यह लगता हो कि आवश्यक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की कमी है जिससे कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरा जा सके ।*

8 .	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9 .	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	02 (दो) वर्ष ।
10 .	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथक पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	**100 % सीधी भर्ती द्वारा**
11 .	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं
12 .	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग ' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) निदेशक (ग्रा.वि/पं), उप- निदेशक (प्र.) - अध्यक्ष परिवहन निदेशालय, सहायक अभियंता (यांत्रिकी), - सदस्य वर्कशॉप प्रभाग , अ.लो.नि.वि., सहायक निदेशक (प्र.) - सदस्य ग्रा.वि., पं.रा.सं.एंव श.स्था.नि. निदेशालय - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवाआयोग से परामर्श किया जाना है ।	लागू नहीं।
14.	कार्य का विवरण	अनुसूची के अनुलग्नक -I के रूप में संलग्न

<u>अनुसूची-II</u>

दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के चुनाव आयुक्त तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड - II) के वर्ग के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड - II)**
2.	पदों की संख्या	05 (पाँच) * पद (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.02.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019 /54/96-स्थापना (डी) के संशोधन पूर्व अनुपात के अनुसार कुल 18 पदों का 30 %) * संवर्ग की कुल संख्या के आधार पर परिवर्तन के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स-4 (रूपए 25500 से 81100/-)
5.	चयन पद या गैर चयनपद	गैर चयन पद (वरिष्ठता-सह-फिटनेस
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एंव अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथक पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	**100 % सीधी भर्ती द्वारा**
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदेन्नति :-** वेतन मैट्रिक्स स्तर -2 (रू19900-63200/-) में कार्यरत इस निदेशालय की स्थापना के स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) में से जिन्होंने इस ग्रेड में 09 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा दिनांक 30.11.1993 की कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 22036/1/92-स्था (डी) के साथ पठित दिनांक 15.02.2001 के का.ज्ञा. सं. 43019/54/96 स्था (डी) के अनुलग्नक – I में निहित उचित मानक के अनुसार ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो । *<u>नोट-1:</u> यदि अर्हकारी/योग्य सेवा पूरा करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति पर विचार किया जाता है तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उन्होनें अपेक्षित अर्हकारी/योग्य सेवा की आधी से अधिक अर्हकारी/योग्य सेवा या दो वर्ष की सेवा जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च*

		ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षाधीन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिन्होनें पहले ही अर्हकारी/योग्य सेवा पूरी कर ली है । *<u>नोट-2:</u> पदेन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दिनांक 01-01-2006 से पूर्व प्रदत्त सेवा / 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार जिस दिन से उसे संशोधित वेतन संरचना का लाभ दिया गया है , को आयोग की सिफारिश के अनुसार तदनुरूप ग्रेड वेतन/ जिस वेतनमान में लाभ दिया गया है, में प्रदत्त सेवा, (जहाँ एक से अधिक पूर्व –संशोधित वेतनमान को समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय कर दिया है,और जहाँ यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए दिया गया है जिसके लिए यह ग्रेड वेतन/वेतनमान, बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य प्रतिस्थापन है, को छोड़कर) माना जाएगा ।*
12 .	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग ' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) निदेशक (ग्रा.वि/पं), उप- निदेशक (प्र.) - अध्यक्ष परिवहन निदेशालय, सहायक अभियंता (यांत्रिकी), - सदस्य वर्कशॉप प्रभाग , अ.लो.नि.वि. - सदस्य खंड विकास अधिकारी, सी.डी.ब्लॉक फरारगंज - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवाआयोग से परामर्श किया जाना है ।	लागू नहीं।
14.	कार्य का विवरण	अनुसूची के अनुलग्नक – II के रूप में संलग्न

अनुसूची-III

दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के चुनाव आयुक्त तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड - I) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड - I)**
2.	पदों की संख्या	06 (छह) * पद (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.02.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019 /54/96-स्थापना (डी) के संशोधन पूर्व अनुपात के अनुसार कुल 18 पदों का 35 %) * संवर्ग की कुल संख्या के आधार पर परिवर्तन के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स-4 (रूपए 29200 से 92300/-)
5.	चयन पद या गैर चयनपद	गैर चयन पद (वरिष्ठता-सह-फिटनेस
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एंव अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथक पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	**100 % सीधी भर्ती द्वारा**
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदेन्नति :-** वेतन मैट्रिक्स स्तर -4 (रू25500-81100/-) में कार्यरत इस निदेशालय की स्थापना के स्टाफ कार ड्राईवर (वर्ग – II) में से जिन्होंने इस ग्रेड में 06 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो या स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य वर्ग) और स्टाफ कार ड्राईवर (वर्ग दृII) को मिलाकर 15 वर्ष की सेवा की हो तथा दिनांक 30.11.1993 की कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 22036/1/92-स्था (डी) के साथ पठित दिनांक 15.02.2001 के का.ज्ञा. सं. 43019/54/96 स्था (डी) के अनुलग्नक – I में निहित उचित मानक के अनुसार ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो । *नोट-1: यदि अर्हकारी/योग्य सेवा पूरा करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति पर विचार किया जाता है तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होनें अपेक्षित अर्हकारी/योग्य सेवा की आधी से अधिक अर्हकारी/योग्य सेवा या दो वर्ष की सेवा जो भी*

		कम हो, पूरी कर ली हो और अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षाधीन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिन्होनें पहले ही अर्हकारी/योग्य सेवा पूरी कर ली है । *नोट-2: पदेन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दिनांक 01-01-2006 से पूर्व प्रदत्त सेवा / 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार जिस दिन से उसे संशोधित वेतन संरचना का लाभ दिया गया है , को आयोग की सिफारिश के अनुसार तदनुरूप ग्रेड वेतन/ जिस वेतनमान में लाभ दिया गया है, में प्रदत्त सेवा, (जहाँ एक से अधिक पूर्व –संशोधित वेतनमान को समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय कर दिया है,और जहाँ यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए दिया गया है जिसके लिए यह ग्रेड वेतन/वेतनमान, बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य प्रतिस्थापन है, को छोड़कर) माना जाएगा ।*
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग ' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) निदेशक (ग्रा.वि/पं), उप- निदेशक (प्र.) - अध्यक्ष परिवहन निदेशालय, सहायक अभियंता (यांत्रिकी), - सदस्य वर्कशॉप प्रभाग , अ.लो.नि.वि. - सदस्य खंड विकास अधिकारी, सी.डी.ब्लॉक फरारगंज - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवाआयोग से परामर्श किया जाना है ।	लागू नहीं।
14.	कार्य का विवरण	अनुसूची के अनुलग्नक – III के रूप में संलग्न

अनुसूची-IV

दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर संघ राज्य क्षेत्र के चुनाव आयुक्त तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एंव शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना में स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड)**
2.	पदों की संख्या	01 (एक) * पद (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.02.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019 /54/96-स्थापना (डी) के संशोधन पूर्व अनुपात के अनुसार कुल 18 पदों का 05 %) ** संवर्ग की कुल संख्या के आधार पर परिवर्तन के अधीन*
3 .	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ख ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4 .	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स-6 (रूपए 35400 से 112400/-)
5 .	चयन पद या गैर चयनपद	गैर चयन पद (वरिष्ठता-सह-फिटनेस
6 .	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7 .	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एंव अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8 .	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9 .	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 (दो) वर्ष
10 .	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथक पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	**100 % सीधी भर्ती द्वारा**
11 .	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदेन्नति :-** वेतन मैट्रिक्स स्तर -5 (रू29200-92300/-) में कार्यरत इस निदेशालय की स्थापना के स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड –I) में से जिन्होंने इस ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो । *नोट-1: यदि अर्हकारी/योग्य सेवा पूरा करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति पर विचार किया जाता है तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होनें अपेक्षित अर्हकारी/योग्य सेवा की आधी से अधिक अर्हकारी/योग्य सेवा या दो वर्ष की सेवा जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षाधीन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिन्होनें पहले ही अर्हकारी/योग्य सेवा पूरी कर ली है ।* *नोट-2: पदेन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के*

		प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दिनांक 01-01-2006 से पूर्व प्रदत्त सेवा / 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार जिस दिन से उसे संशोधित वेतन संरचना का लाभ दिया गया है , को आयोग की सिफारिश के अनुसार तदनुरूप ग्रेड वेतन/ जिस वेतनमान में लाभ दिया गया है, में प्रदत्त सेवा, (जहाँ एक से अधिक पूर्व –संशोधित वेतनमान को समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय कर दिया है,और जहाँ यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए दिया गया है जिसके लिए यह ग्रेड वेतन/वेतनमान, बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य प्रतिस्थापन है, को छोड़कर) माना जाएगा ।
12 .	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग ' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) निदेशक (ग्रा.वि/पं), उप- निदेशक (प्र.) - अध्यक्ष परिवहन निदेशालय, सहायक अभियंता (यांत्रिकी), - सदस्य वर्कशॉप प्रभाग , अ.लो.नि.वि. - सदस्य खंड विकास अधिकारी, सी.डी.ब्लॉक फरारगंज - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवाआयोग से परामर्श किया जाना है ।	लागू नहीं।
14.	कार्य का विवरण	अनुसूची के अनुलग्नक – IV के रूप में संलग्न

स्टाफ कार ड्राईवर (सामाय ग्रेड , ग्रेड ,- II, ग्रेड ,- I तथा विशेष ग्रेड ,) के पदों का कार्य विवरण

1. उनके पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए ।
2. उन्हें प्रतिदिन उचित यूनिफार्म पहनना होगा ।
3. उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी और अंकों को पढ़ना आना चाहिए ।
4. उन्हें यातायात नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से वाहन चलाना होगा ।
5. उन्हें समय पर उपस्थित रहना होगा ।
6. उन्हें वाहन के लॉग बुक में वाहन द्वारा तय की गई दूरी का सही हिसाब रखना होगा साथ ही साप्ताहिक रूप से वाहन के लिए गए ईंधन का भी हिसाब रखना होगा ।
7. उन्हें मासिक आधार पर नामित अधिकारी से लॉग बुक सत्यापित और हस्ताक्षित करवाना होगा ।
8. उन्हें वाहन को पानी से धुलाई कर, पोंछकर तथा पॉलिश कर साफ –सुथरा रखना होगा ।
9. प्रतिदिन वाहन को चलाने से पहले उन्हें ईंधन, लुब्रिकेंट, पानी तथा ब्रेक की जॉच करनी होगी ।
10. उन्हें पेट्रोल, डिज़ल तथा इलेक्ट्रिक इंजन कार्य का सही ज्ञान होना चाहिए तथा छोटी खराबी को पहचान कर सही करने का ज्ञान होना चाहिए ।
11. उन्हें पहिया बदलना तथा पहिए में हवा भरना आना चाहिए ।

12 उन्हें वाहन में टूल किट भी रखना होगा ।

13 उन्हें अपने वाहन में अतिरिक्त पहिया / पार्टस को अपने पास सुरक्षित और अच्छी स्थति में रखना होगा ।

14. वाहन को मरम्मत के लिए भेजे जाने पर उन्हें वर्कशॉप के साथ अच्छा सम्नवय बनाए रखते हुए वाहन को सही समय पर ठीक करवाने के साथ-साथ मरम्मत/ क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदलने अादी के कार्य पर भी नज़र रखनी होगी ।
15. वाहन के क्षतिग्रस्त / बदले गए खराब पुर्जों को कार्यालय के वाहन प्रभारी को सौंपना होगा ।
16. वे मरम्मत तथा मरम्मत किए जाने के समय बदले गए पुर्जों पर आए व्यय की एक तिथिवार रिर्काड रखेंगे ।
17. वे अधिकारियों को वाहन के ब्रेक डाउन/ दुर्घटनाओं की समय पर जानकारी देने के उत्तरदायी होगे ।
18. वे वाहन के मरम्मत / अतिरिक्त पुर्जों की खरीद संबंधी बिलों को प्राप्त कर समय पर उनके भुगतान के लिए कार्यालय में जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the........................2023.

No. 1-10/RD,PRI&ULBs/2022 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of the Home Affairs, New Delhi, Notification No.14/3/60-ANL dated 11th April, 1960, and in supersession of all notification issued to this effect, the Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the **Group 'B' post of Staff Car Driver (Special Grade) and Group 'C' post of Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II & Grade-I)** respectively borne on the establishment of *Directorate of RD, PRIs & ULBs,* Andaman and Nicobar Administration and the Common **Election Commissioner for Union Territories at Delhi and Port Blair**, namely:-

1. **Short title and Commencement:**
   (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration (the **Group 'B' post of Staff Car Driver (Special Grade) and Group 'C' post of Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II & Grade-I)** of the *Directorate of RD, PRIs & ULBs,* Andaman and Nicobar Administration and the Common **Election Commissioner for Union Territories at Delhi and Port Blair)** Recruitment Rules, 2023.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Matrix Level :**
   The number of posts, their classification and Pay Matrix Level attached thereto, shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule I to V annexed to these rules.

3. **The method of Recruitment, Age Limit and Qualification etc:**
   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in paras 5 to 14 of the aforesaid Schedules.

4. **Disqualification:**

No person -

(i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

OR

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person(s), shall be eligible for appointment to the said post.

Contd. 2/-

Provided that the Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing; exempt any person from the operation of these rule.

5. **Power to relax:**

Where the Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**

Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

D. K. Joshi, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands

By Order and in the name of the Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands

(Aditya Kumar Asthana)
Director,
Directorate of RD, PRIs & ULBs
Andaman and Nicobar Administration

SCHEDULE - I

Recruitment Rules for the post of **Staff Car Driver (Ordinary Grade)** in the Directorate of RD, PRIs & ULBs and Election Commission for UTs at Delhi and Port Blair.

1.	Name of the Post	**Staff Car Driver (Ordinary Grade)**
2.	No. of Post	06 (Six)* Posts. *(30% of total 18 posts as per the revised ratio in terms of DoPT OM No.43019/54/96-Estt(D) dated 15.02.2001)* *Subject to variation depending on overall strength of the cadre.
3.	Classification	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Pay Matrix Level-2 (Rs. 19900-63200/-)
5.	Whether Selection post or Non-selection post	Not applicable
6.	Age Limit for direct recruitment	**Male 18 - 33 years** **Female 18 - 38 years** (Relaxable for Govt. Servants upto 5 (five) years in accordance with the instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time. Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of names from Employment Exchange, A&N Islands / applications from candidates.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential:-** 1. Pass in Secondary School Examination (10th std.). 2. Must possess valid Light Motor Vehicle Driving License. 3. Must qualify the Trade Test/ Proficiency Test to be conducted by duly constituted selection committee **Desirable:-** 1. Three years experience in driving of Light Motor Vehicles 2. Knowledge of motor mechanism and capable to locate rectify minor defects in the vehicle. 3. Should possess knowledge of Traffic Regulation.

		__Note 1:__ Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. *__Note 2:__* Qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates belonging to the SC or ST if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient numbers of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the cases of promotes	Not applicable
9.	Period of probation, if any	2 (two) years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**100 % by Direct Recruitment**
11.	In case of recruitment/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	**__Group 'C' DCC (for Confirmation) consisting of :__** Director (RD/Panch) - Chairman Deputy Director (Admn), Directorate of Transport - Member Assistant Engineer(Mech.) Workshop Division, APWD – Member Assistant Director (Admn) Dte. of RD,PRI & ULB – Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
14.	Job description	Attached as Annexure - I to the Schedules

SCHEDULE - II

Recruitment Rules for the post of **Staff Car Driver (Grade - II)** in the Directorate of RD, PRIs & ULBs and Election Commission for UTs at Delhi and Port Blair.

1.	Name of the Post	**Staff Car Driver Grade-II**
2.	No. of Post	**05 (Five)* Posts.** (30% of total 18 posts *as per the revised ratio in terms of DoPT OM No.43019/ 54/96-Estt(D) dated 15.02.2001)* *Subject to variation depending on overall strength of the cadre.
3.	Classification	General Central Services Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Pay Matrix Level-4 Rs. 25500-81100/-
5.	Whether Selection post or Non-selection post	Non-Selection (Seniority-Cum-Fitness)
6.	Age Limit for direct recruitment	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the cases of promotes	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**100 % by Promotion**
11.	In case of recruitment/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	**Promotion:** From amongst the Staff Car Driver (Ordinary Grade) of this Directorate Establishment in the Pay Level - 2 (Rs.19900-63200/-) with 9 years of regular service in the grade subject to passing the Trade Test of appropriate standard as contained in the Annexure-I to DoPT's OM No.22036/1/92-Estt(D)

		dated 30.11.1993 read with O.M No.43019/54/96-Estt(D) dated 15.02.2001. *Note-1: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.* *Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service of promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation*
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	<u>Group 'C' DPC (for Promotion) consisting of :</u> Director (RD/Panch) – Chairman Deputy Director (Admn), Directorate of Transport - Member Assistant Engineer(Mech.) Workshop Division, APWD –Member Block Development Officer CD Block Ferrargunj – Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
14.	Job description	Attached as Annexure-II to the Schedules

SCHEDULE - III

Recruitment Rules for the post of **Staff Car Driver (Grade - I)** in the Directorate of RD, PRIs & ULBs and Election Commission for UTs at Delhi and Port Blair.

1.	Name of the Post	**Staff Car Driver (Grade – I)**
2.	No. of Post	06 (Six) Posts. (35% of total 18 posts *as per the revised ratio in terms of DoPT OM No.43019/54/96-Estt(D) dated 15.02.2001)* *Subject to variation depending on overall strength of the cadre.
3.	Classification	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Pay Matrix Level - 5 Rs. 29200-92300/-
5.	Whether Selection post or Non-selection post	Non-Selection (Seniority-Cum-Fitness)
6.	Age Limit for direct recruitment	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the cases of promotes ?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**100 % by Promotion**
11.	In case of recruitment/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	**PROMOTION :-** From amongst the Staff Car Driver (Grade-II) of this Directorate Establishment in the Pay Level – 4 (Rs.25500-81100/-) with 6 (six) years of regular service in the Grade-II or a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) put together and passing the Trade Test of appropriate standard as contained in the Annexure-I

		to DoPT, OM No.22036/1/92-Estt(D) dated 30.11.1993 read with O.M No.43019/54/96-Estt(D) dated 15.02.2001. **<u>Note-1:</u>** *Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.* **<u>Note-2:</u>** *For the purpose of computing minimum qualifying service of promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.*
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	**<u>Group 'C' DPC (for Promotion) consisting of :</u>** Director (RD/Panch) – Chairman Deputy Director (Admn), Directorate of Transport - Member Assistant Engineer(Mech.) Workshop Division, APWD –Member Block Development Officer, CD Ferrargunj – Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
14.	Job description	Attached as Annexure-III to the Schedules

SCHEDULE - IV

Recruitment Rules for the post of **Staff Car Driver (Special Grade)** in the Directorate of RD, PRIs & ULBs and Election Commission for UTs at Delhi and Port Blair.

1.	Name of the Post	**Staff Car Driver (Special Grade)**
2.	No. of Post	01 (one) Post. (05% of total 18 posts *as per the revised ratio in terms of DoPT OM No.43019/ 54/96-Estt(D) dated 15.02.2001)* *Subject to variation depending on overall strength of the cadre.
3.	Classification	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Pay Matrix Level - 6 Rs. 35400-112400/-
5.	Whether Selection post or Non-selection post	Non-Selection (Seniority-Cum-Fitness)
6.	Age Limit for direct recruitment	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the cases of promotes	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	2 (two) years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**100 % By Promotion**
11.	In case of recruitment/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	**PROMOTION :-** From amongst the Staff Car Driver (Grade-I) of this Directorate Establishment in Pay Matrix Level-5 (Rs.29200-92300/-) with 3 years of regular service in the grade. **Note-1:** *Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully*

		completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. ***Note-2:*** *For the purpose of computing minimum qualifying service of promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.*
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	**Group 'B', (NG) (NM) DCC (for Confirmation) consisting of :** Secretary (RD/Panch) - Chairman Deputy Director (Admn), Directorate of Transport - Member Assistant Engineer(Mech.) Workshop Division, APWD –Member Block Development Officer, CD Block, Ferrargunj - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
14.	Job description	Attached as Annexure-IV to the Schedules

ANNEXURE TO SCHEDULE – I to IV

JOB DESCRIPTION FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE, GRADE – II, GRADE – I AND SPECIAL GRADE)

1. He/She should possess valid driving license in hand.
2. He/She wear proper uniform daily.
3. He/She must be able to read English /Hindi, Numerals and Figures.
4. He/She should drive the vehicle in safe way as per traffic rules.
5. He/She should be punctual in attendance.
6. He/She should maintain true & correct accounts of the journeys of vehicle in the log book of the vehicle properly and maintain accounts for the fuel drawn for vehicle on weekly basis.
7. He/She should get the log book verified and signed by the designated authority on monthly basis.
8. He/She should keep the vehicle neat and clean by water washing, wiping and polishing.
9. He/She check the oil, lubricant, water & brake every day before the vehicle being taken for driving.
10. He/She must have practical knowledge of Petrol, Diesel & Electric Engine working and able to locate faults and rectify minor running defects.
11. He/She must be able to change wheels and correctly inflate the tyre.
12. He/She should maintain tool kit in the vehicle.
13. He/She should keep the spare wheel/parts in the vehicle in safe custody and in good condition.
14. On the vehicle being sent for repairs etc., he/she would be required to maintain close coordination with workshop to get the vehicle repaired in time and keep himself/herself abreast of the progress of repair/replacement of damaged parts etc.
15. The damaged/replaced parts of vehicle after repair shall be made available to vehicle In-charge of the office.
16. He/She should maintain a date-wise record entry in respect of the repairs, cost of spare parts replaced at the time of carrying out the repair.
17. He/She is responsible for timely reporting of break downs/accidents to the authorities.
18. He/She is responsible to collect the bills for repairing charges/cost of spare parts of the vehicle and submit in the office for arranging timely payment.

-------- * * * ------